

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(1)नविवि/प्र.श.अभि./2025

जयपुर, दिनांक:

निदेशक,  
स्वायत्त शासन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।

विषय— नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक  
03.10.2023 के संबंध में राय याचत।

सन्दर्भ—आपका पत्र क्रमांक: F-59JTP/DLB सामान्य आदेश (826)/21/59 दिनांक  
19.02.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के क्रम में लेख है कि  
नाथद्वारा, जैसलमेर, माउण्ट आबू एवं पुष्कर नगर पालिका क्षेत्र (म्यूनिसिपल लिमिट) में धारा  
90-क की कार्यवाही से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये जाने तथा नगर पालिका  
क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं किये जाने के संबंध में  
जारी विभागीय आदेश दिनांक 03.10.2023 वर्तमान में प्रभावी नहीं है।

भवदीय  
Signature Not Verified

Digitally signed by Raj VJlay  
Designation: Deputy Secretary To  
Government  
Date: 2025.03.07 23:45:28 +05'30'IST  
Reason: Approved

